राजस्थान सरकार
विधि एंव विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.12(20)राज / वाद / 05पार्ट जयपुर, दिनांक 03/03/2020

:: आदेश ::

श्री अश्विनी पुरोहित की विद्वान महाधिवक्ता, राज0 के आदेश क्रमांक प.(381–385) महाधिवक्ता / 80 दिनांक 13.06.80 के द्वारा कार्मिक विभाग के आदेश सं0 प.3(6) कार्मिक / क–2 / 75, दिनांक 29.09.75 के अनुसरण में कार्यालय महाधिवक्ता, राज0 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर वेतन श्रृंखला 355–10–415–15–550–20–570 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था । श्री पुरोहित ने कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 16.06.80 को कार्यभार ग्रहण किया है।

विद्वान महाधिवक्ता, राज0 के आदेश क्रमांक 16(ए.जी.)82 दिनांक 30.04.82 के द्वारा श्री पुरोहित को राजकीय अधिवक्ता कार्यालय, जोधपुर में शीघ्रलिपिक–II के पद पर अस्थायी पदोन्नत किया गया है। श्री पुरोहित ने दिनांक 03.05.82 को शीघ्रलिपिक–II के पद पर उपस्थिति प्रस्तुत की है।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.10.16 के द्वारा इस विभाग एवं इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत शीघ्रलिपिकों की अन्तरिम वरिष्ठता सूची पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में गठित समिति की अभिशंषा एवं कार्मिक विभाग की आई.डी.संख्या 520 / डी.ओ.पी. / ए–2 दिनांक 11.10.19 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर विद्वान महाधिवक्ता, राज0 के आदेश क्रमांक 16(ए0जी0)82 जयपुर, दिनांक 30.04.82 के द्वारा श्री पुरोहित की नियमित चैनल से बाहर कनिष्ठ लिपिक से शीघ्रलिपिक के पद के आदेश को निरस्त करते हुए श्री पुरोहित का नाम समसंख्यक आदेश दिनांक 21.10.16 के द्वारा जारी शीघ्रलिपिकों की वरिष्ठता सूची से पृथक किया जाता है।

श्री पुरोहित का नाम कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रथम नियुक्ति होने की दिनांक से मंत्रालयिक संवर्ग की कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता में प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश आज ही पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

ह0

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विद्वान महाधिवक्ता,राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
3. राजकीय अधिवक्ता मय अति0महाधिवक्ता,जयपुर / जोधपुर।
4. संबंधित कोषाधिकारी ———————————— ।
5. प्रोग्रामर,विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सहायक लेखाधिकारी–I, वादकरण।
7. रक्षित पत्रावली।

03/3/2020

(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव,वादकरण

राजस्थान सरकार
विधि एंव विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.12(20)राज / वाद / 05पार्ट   जयपुर, दिनांक 03/03/2020

:: आदेश ::

श्री अश्विनी पुरोहित की विद्वान महाधिवक्ता, राज0 के आदेश क्रमांक प.(381–385) महाधिवक्ता / 80 दिनांक 13.06.80 के द्वारा कार्मिक विभाग के आदेश सं0 प.3(6) कार्मिक / क–2 / 75, दिनांक 29.09.75 के अनुसरण में कार्यालय महाधिवक्ता, राज0 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर वेतन श्रृंखला 355–10–415–15–550–20–570 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था । श्री पुरोहित ने कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 16.06.80 को कार्यभार ग्रहण किया है।

विद्वान महाधिवक्ता, राज0 के आदेश क्रमांक 16(ए.जी.)82 दिनांक 30.04.82 के द्वारा श्री पुरोहित को राजकीय अधिवक्ता कार्यालय, जोधपुर में शीघ्रलिपिक–II के पद पर अस्थायी पदोन्नत किया गया है। श्री पुरोहित ने दिनांक 03.05.82 को शीघ्रलिपिक–II के पद पर उपस्थिति प्रस्तुत की है।

इस विभाग के आज जारी समसंख्यक आदेश द्वारा विद्वान महाधिवक्ता, राज0 के आदेश क्रमांक 16(ए0जी0)82 जयपुर, दिनांक 30.04.82 को निरस्त करते हुए श्री पुरोहित का नाम शीघ्रलिपिकों की वरिष्ठता सूची से पृथक कर दिया गया है।

श्री पुरोहित की वरिष्ठता का निर्धारण उनकी कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रथम नियुक्ति होने की दिनांक 16.06.80 से मंत्रालयिक संवर्ग की कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता सूची में श्रीमती इन्द्रा शर्मा के नाम के नीचे एवं श्री रामकिशोर के नाम के ऊपर प्रतिस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

ह0

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विद्वान महाधिवक्ता,राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
3. राजकीय अधिवक्ता मय अति0महाधिवक्ता,जयपुर / जोधपुर।
4. संबंधित कोषाधिकारी ————————————।
5. प्रोग्रामर,विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सहायक लेखाधिकारी–I, वादकरण।
7. रक्षित पत्रावली।

03/3/2020
(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव,वादकरण